न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्र शेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 66 / 2024

सरकार बनाम शीशराम, सतपाल सिंह पुत्रगण श्योजीराम, जाति–जाट, निवासी–वार्ड नं 23, सूरजगढ़।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 23.08.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान शीशराम, सतपाल सिंह पुत्रगण श्योजीराम, जाति–जाट, निवासी–वार्ड नं 23, सूरजगढ़, द्वारा रोही मौजा सूरजगढ़ की भूमि ख.नं. 349 के कुल रकबा 3.29 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर तारबाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। उक्त खसरा नम्बर में अपना अतिक्रमण नहीं होना बताया तथा आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के आशय से तारबन्दी अपनी सीमा में करना बताया एवं अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........06........पर
वर्ष 24-25.....में रुपये .06/ कायम किए
राजस्व लेखाकार

(चन्द्र शेखर)
तहसीलदार, सूरजगढ़